...ालय उपखण्ड अधिकारी, तालेड़ा जिला बून्दी (राजस्थान)

मिसल नं.	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
4/प्रा.पत्र/2022	07.01.2022	11.02.2022

ओमप्रकाश पुत्र मोहन लाल जाति तैली निवासी कोटा (राज0)

– प्रार्थी

बनाम

1. सीताराम पुत्र लालू जाति मेघवाल निवासी डाबी तहसील तालेडा जिला बून्दी (राज0)
2. प्रभु लाल पुत्र सुखदेव जाति मीणा निवासी डाबी तहसील तालेडा जिला बून्दी (राज0)

– अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत अन्तर्गत धारा 251–क (1) आर.टी. एक्ट

अधिवक्ता प्रार्थी :–श्री नन्द सिंह

अधिवक्ता अप्रार्थीः– श्री हर्षित दुबे

निर्णय

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क की उपधारा (1) राजस्थान टीनेंसी एक्ट प्रस्तुत कर अवगत कराया कि प्रार्थी भूमि खसरा सं. 519/299 रकबा 2.4281 है0 वाके ग्राम ढसाल्या पटवार मण्डल राजपुरा तहसील तालेड़ा का भूमि धारणकर्ता खातेदार आसामी (टीनेंट) है तथा जोत (होल्डिंग) में सिंचाई प्रयोजन/पहुँच के लिए अप्रार्थीगण की कृषि भूमि ख0सं0 518/299 रकबा 2.4281 हे0 एवं ख0नं0 520/299 रकबा 1.5459 हे0 वाके ग्राम ढसाल्यापटवार मण्डल राजपुरा तहसील तालेड़ा में से होकर मार्ग बनाना चाहता है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण एवं प्रार्थी द्वारा मय अधिवक्ता उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया गया जो निम्नप्रकार हैः–

1. यह कि प्रार्थी ने स्वयं की खातेदारी की भूमि खसरा सं0 519/299 वाके ग्राम डसाल्या पर पहुचँ हेतु कृषि भूमि खसरा सं0 518/299 एवं खसरा सं0 520/299 से रास्ता चाहा था, रास्ते का सुपरइम्पोज नक्शे के अनुसार राजीनामा के साथ संलग्न है, जिसके अनुसार रास्ता प्रस्तावित है। पक्षकारो के मध्य लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो चुका है तथा आपसी सहमति से रास्ते बाबत् अप्रार्थीगण ने रकम प्रार्थी से प्राप्त कर ली है। अप्रार्थीगण की उपरोक्त वर्णित भूमि पर संलग्न सुपरइम्पोज नक्शा के अनुसार रास्ता स्वीकृत किये जाने में अप्रार्थीगण को कोई आपत्ति नही है। लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो चुका है। अब किसी भी प्रकार का कोई विवाद शेष नही है।
2. यह कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण संलग्न नक्शा सुपरइम्पोज लेआउट प्लान के अनुसार रास्ता चाहते है। उक्त अनुसार राजस्व रिकार्ड में रास्ता दर्ज करने हेतु तहसीलदार तालेडा को आदेशित किया जावे।
3. यह कि राजीनामा प्रस्तुत करने में पक्षकारों के मध्य किसी भी प्रकार की कोई दरभि सन्धि नही है। पक्षकारो ने बिना किसी भय दबाव के उक्त राजीनामा पेश किया है।

उपखण्ड अधिकारी
तालेड़ा जिला बून्दी (राज0)

Scanned with CamScanner

अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा स्वीकार फरमा कर उक्त प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251 क आर.टी.एक्ट. का राजीनामा के आधार पर निस्तारण फरमाने की कृपा करे।

प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के आधार पर रास्ते के सम्बंध में मौका स्थिति की रिपोर्ट तहसीलदार तालेडा से प्राप्त की गई। मुताबिक मौका रिपोर्ट तहसीलदार तालेडा के अनुसार ग्राम ढसाल्या की खातेदारी भूमि खसरा सं0 519/299 पर पहुंच हेतु रास्ते बाबत कृषि भूमि खसरा सं0 518/299 एवं खसरा सं0 520/299 का मौका देखा गया। मौके एवं राजस्व रेकार्ड के अनुसार खसरा सं0 520/299 की भूमि पर पहुंचने हेतु रास्ता बना हुआ है। यह रास्ता ग्राम राजपुरा की तरफ जाने वाली सडक से लगता है, इससे आगे सुपरइम्पोज लेआउट नक्शे में दर्शाये गए प्रस्तावित रास्ते का निरीक्षण किया गया। मौके पर जो रास्ता खसरा सं0 518/299 एवं 520/299 की भूमियों से चाहा गया है वहां वर्तमान में कृषि की जा रही है। मौके पर सरसों व गेहूं की फसल बो रखी है मौके पर किसी प्रकार का कोई पक्का निर्माण नहीं है न ही कोई बिजली लाईन है। मुताबिक राजस्व रेकार्ड के खसरा सं0 519/299 की भूमि पर पंहुचने हेतु कोई रास्ता दर्ज रेकार्ड नही है।

साक्ष्य में प्रार्थी की ओर से नकल जमाबन्दी खाता सं0 8 ग्राम ढसाल्या संवत् 2076, जमाबन्दी खाता सं0 115 ग्राम ढसाल्या संवत् 2076,जमाबन्दी खाता सं0 61 ग्राम ढसाल्या संवत् 2076, नकल नक्शा ट्रेस वाके ग्राम ढसाल्या एवं प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के साथ संलग्न सुपरइम्प्लोज लेआउट नक्शा प्रस्तुत किया गया।

उभयपक्षों के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा पर उभयपक्षों को सुना गया। उभयपक्षो ने राजीनामा में वर्णित तथ्यों को सही होना स्वीकार किया तथा राजीनामा के मार्फत उक्त प्रकरण का निस्तारण करने का निवेदन किया। तत्पश्चात हमने ध्यानपूर्वक पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं तहसीलदार तालेडा से प्राप्त मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया बाद अवलोकन उभयपक्षों के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा स्वीकार किया जाता है तथा प्रस्तुत राजीनामा अनुसार भूमि खसरा सं0 519/299 वाके ग्राम ढसाल्या तक पहुँच के लिये खसरा सं0 518/299 वाके ग्राम ढसाल्या पटवार हल्का राजपुरा तहसील तालेडा के राजस्व नक्शे के उत्तरी दिशा में 30 फिट चौड़ा एवं 376 फिट लम्बा रास्ता दिये जाने हेतु एवं खसरा सं0 520/299 वाके ग्राम ढसाल्या पटवार हल्का राजपुरा में से राजस्व नक्शे के उत्तरी दिशा में 30 फिट चौड़ा एवं 242 फिट लम्बा रास्ता दिया जाने हेतु भूमि खसरा सं0 518/299 एवं ख0सं0 520/299 के खातेदार सहमत है।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क आर.टी.एक्ट मार्फत राजीनामा स्वीकार किया जाकर तहसीलदार तालेडा को आदेशित किया जाता है कि भूमि खसरा सं0 519/299 वाके ग्राम ढसाल्या तक पहुँच के लिये खसरा सं0 518/299 वाके ग्राम ढसाल्या पटवार हल्का राजपुरा तहसील तालेडा के राजस्व नक्शे के उत्तरी दिशा में 30 फिट चौड़ा एवं 376 फिट लम्बा रास्ता एवं खसरा सं0 520/299 वाके ग्राम ढसाल्या पटवार हल्का राजपुरा में से राजस्व नक्शे के उत्तरी दिशा में 30 फिट चौड़ा एवं 242 फिट लम्बा रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर राजस्व नक्शे में तरमीम किया जावे।

निर्णय/आदेश आज दिनांक 11.2.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कमल कुमार मीना)
उपखण्ड अधिकारी
तालेडा जितालेड़ा (राज0)

Scanned with CamScanner